न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– अरविन्द कुमार जाखड़ (आर.ए.एस.)

दायरा दिनांकः 23.03.2017

प्रकरण संख्या 20/2017

GCMS CASE NO-

जयप्रकाश शर्मा पुत्र श्री नवरंगलाल शर्मा जाति ब्राहण निवासी वार्ड नं. 5 किशन जी पितरजी के मन्दिर के मुख्य गेट के पास, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(प्रार्थी)

बनाम

1. मल्लूराम स्वामी पुत्र श्री छपपनदास स्वामी जाति स्वामी साकिन वार्ड नं. 9 नजदीक सामुदायिक भवन, सूरतगढ
2. ईकबाल सिंह पुत्र श्री सरदारचन्द सिंह जाति बराड़ साकिन महिया भगवाना तहसील व जिला बठिण्डा।
3. रवि खुराना पुत्र स्वर्गीय सतनाम राय जाति अरोड़ा साकिन वार्ड नं. 18 सूरतगढ़।
4. लीलाधर स्वामी उर्फ सिकन्दर स्वामी पुत्र पन्नाराम जाति स्वामी साकिन वार्ड 18 सूरतगढ़।
5. हरेन्द्र कुमार पुत्र श्री मोहनलाल जाति जाट साकिन कोलिण्डा तहसील व जिला झुंझुनू।
6. तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़
7. उपपंजीयक राजस्व तहसील सूरतगढ़।

(अप्रार्थीगण)

शिकायत प्रार्थना पत्र नियम 14(4) राजकीय भूमि आवंटन नियम 1970 व सपठित धारा 11, 14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम

उपस्थितः–
1. श्री सुभाष चन्द अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री सोनू गाबा, वकील अप्रार्थी संख्या 1
3. श्री रामप्रताप तिवाड़ी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 ता 5
4. पैरोकार राज

:: निर्णय :: दिनांकः–27.06.2023

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजकीय भूमि आवंटन नियम 1970 व सपठित धारा 11, 14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम एवं नियम 19 कृषि भूमि अस्थाई आवंटन नियम 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी सं0 1ने रोही सूरतगढ़ के ख. स. 383/4 की 50 बीघा भूमि जो पैराफेरी क्षेत्र व सूरतगढ की नगरपालिका सीमा में स्थित है, सन् 1970–71 में राजस्थान का निवासी न होते हुए भी राजस्व कर्मचारी (पटवारी–गिरदावर) से मिलीभगत कर अस्थाई तौर पर आवंटन करवाई जो जरिये इकरारनामा दिनांक 20.09.2012 को अप्रार्थी सं. 2 इकबाल सिंह को 17,00000 रूपये (सतरह लाख रूपये) में बेच दी एवं कब्जा खरीददार को दिनांक 20. 09.2012 सुपुर्द कर दिया। विवादित भूमि सूरतगढ से एक किलोमीटर के अन्दर पैराफेरी क्षेत्र में स्थित है। कानूनन पैराफेरी क्षेत्र में स्थित मास्टर प्लान में आ चुकी भूमि के खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। अप्रार्थी नं. 1 मल्लूराम का विवादित भूमि पर कब्जा न होते हुए भी अप्रार्थी नं. 2 ता 5 ने राजस्व तहसील सूरतगढ से विवादित भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 का कब्जा दिनांक 02.03.16 व 29.09.16 को दिखाकर नगरपालिका सूरतगढ से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 06.07.16 को प्राप्त करके श्रीमान जिलाधीश महोदय श्रीगंगानगर से दिनांक 03.11.16 को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का आदेश सरकार को धोखा देकर व तथ्यों को छुपाकर प्राप्त किया जो अवैधानिक व अपाराधिक कृत्यों पर आधारित है। जिसकी कानून में कोई मान्यता नहीं है। अतः उक्त आदेश कभी भी खारिज किया जा सकता है। अतः विवादित भूमि रोही सूरतगढ़ ख.न. 383/4 तादादी 50 बीधा की बाबत श्री जिलाधीश गंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.04.16, खातेदारी स्वीकृति आदेश दिनांक 03.11.16 तथा खातेदारी सनद आदेश दिनांक 17.11.16 सभी आदेश निरस्त कर विवादित भूमि को आराजीराज दर्ज करने व साथ ही कब्जा बहक सरकार लिये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी [illegible] ब किया गया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुभाषचन्द हाजिर हुए। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सोनू गाबा, अप्रार्थी संख्या 3 ता 5 की ओर से अधिवक्ता श्री रामप्रताप तिवाड़ी तथा अप्रार्थी सं. 6 की ओर से पैरोकार राज हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.08.04 10:26:30 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

837

Scanned with OKEN Scanner

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस शिकायत प्रार्थना–पत्र में अकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रोही सूरतगढ़ के ख. स. 383/4 की 50 बीघा भूमि जो पैराफेरी क्षेत्र व सूरतगढ की नगरपालिका सीमा में स्थित है, अप्रार्थी सं. 1 द्वारा सन् 1970–71 में राजस्थान का निवासी न होते हुए भी राजस्व कर्मचारी (पटवारी–गिरदावर) से मिलीभगत कर अस्थाई तौर पर आवंटन करवाई जो जरिये इकरारनामा दिनांक 20.09.2012 को अप्रार्थी सं. 2 इकबाल सिंह को 17,00000 रूपये (सतरह लाख रूपये) में बेच दी एवं कब्जा खरीददार को दिनांक 20.09.2012 सुपुर्द कर दिया। दिनांक 20.09.2012 के पश्चात अप्रार्थी नं. 1 मल्लूराम व उसके परिवार के किसी भी सदस्य का विवादित भूमि पर आज तक कब्जा नहीं है। अतः अप्रार्थी नं. 1 मल्लूराम का विवादित भूमि पर कब्जा न होते हुए भी दिनांक 03.11.16 को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का आदेश सरकार को धोखा देकर व तथ्यों को छुपाकर प्राप्त किया जो अवैधानिक व अपराधिक कत्यों पर आधारित है। अतः आदेश निरस्त कर विवादित भूमि को आराजीराज दर्ज करने व साथ ही कब्जा बहक सरकार लिये जाने का आदेश फरमावें।

अप्रार्थी सं. 3 ता 5 की ओर से अधिवक्ता श्री रामप्रताप तिवाड़ी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी के आवंटन को 53 वर्ष की लम्बी अवधि हो चुकी है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अप्रार्थी सं0 2 इकबाल सिंह को मुख्त्यारनामा आम दे रखा था जिसमें भूमि के बेचान की पावर भी दे रखी थी इस कारण इकबाल सिंह ने हम अप्रार्थी सं0 3 ता 5 को अप्रार्थी सं0 1 के नाम की भूमि रोही कस्बा सूरतगढ के ख0 स0 383/4 की 50 बीघा भूमि का बेचान किया है। हम अप्रार्थीगण सं. 3 ता 5 ने भूमि का पूरा प्रतिफल देकर खरीद की है। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत प्रार्थना–पत्र के बिन्दु सं. 2 में यह अंकित किया है कि अप्रार्थी नं. 1 द्वारा सन् 1970–71 में कस्बा सूरतगढ का निवासी न होते हुये रोही सूरतगढ के ख. सं. 383/4 के 50 बीघा भूमि का आवंटन करवा लिया जो कि कतई असत्य कथन है। क्योंकि शिकायतकर्ता द्वारा इससे संबंधित कोई दस्तावेज साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त भूमि पूर्व में आउट ऑफ जोन थी जो आज भी आउट ऑफ जोन है तथा आउट ऑफ जोन की ही खातेदारी मिली है। खातेदारी मिलने के बाद मल्लूराम ने दिनाक 18.01.17 को अप्रार्थी सं. 2 ता 5 के विरूद्ध जरिये इस्तगासा एसीजेएम सूरतगढ से सूरतगढ़ थाना में मुकदमा दर्ज करवाया। उक्त मुकदमा में समस्त बिन्दुओ पर अनुसंधान अधिकारी जांच की जाकर एफआर लगा दी गई। इसके अलावा मल्लूराम द्वारा अप्रार्थी सं0 2 ता 5 के विरूद्ध माननीय सिविल न्यायधीश सूरतगढ के समक्ष आदेश 39 नियम 1 व 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश किया। उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र भी दिनांक 22.09.2021 को खारिज फरमा दिया गया। इस निर्णय में बिन्दु सं. 9 की लाईन सं. 9 में यह फाईडिंग दी है कि "क्योकि स्वयं प्रार्थी भी खातेदारी प्राप्त करने की प्रक्रिया में मौन सहमति रखता दिखाई देता है। निश्चित रूप से जब कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये है तो उसके मूल्य में परिवर्तन आना स्वाभाविक है, ऐसे में जब मल्लूराम इकबाल सिंह से 17 लाख रूपये प्राप्त कर चुका था तो उसके द्वारा इस तथ्य को न्यायालय से छुपाया जाना कही न कहीं आर्थिक लाभ व हितों का टकराव होना दर्शाता है। इससे यह तो स्पष्ट है कि प्रार्थी अपनी भूमि की खातेदारी चाहता था इस प्रयोजनार्थ उसने विभिन्न दस्तावेजात का निष्पादन भी किया। इससे स्पष्ट जाहिर है कि प्रार्थी मल्लूराम पाकसाफ तथ्यों के साथ न्यायालय के समक्ष नहीं आया है।" इस प्रकार मल्लूराम सिविल कोर्ट में लाभ नही उठाने से जयप्रकाश से मिलकर झूठी शिकायत इस न्यायालय में पेश की है। प्रार्थी ने शिकायत प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि दिनांक 03.06.2006 को ख.स. 383/4 की 50 बीघा विवादित भूमि पैराफेरी क्षेत्र में मानकर तथा शर्तो का उल्लंघन मानकर खारिज की गई जो कतई झूठा अंकित किया है। शर्तो के उल्लंघन होने का निर्णय दिनांक 03.06.2006 में कहीं भी उल्लेख नहीं है इसके अलावा पैराफेरी में शामिल होना, उसकी अपील रेवेन्यू बोर्ड द्वारा दिनांक 22.03.2013 को आदेश दिनांक 03.06.2006 को अपील खारिज करना व अपील स्वीकार करना तथा कलक्टर को रिमाण्ड करना व दिनांक 25.04.2016 को बहाल करना निरंतर प्रक्रिया है। दिनांक 03.06.2006 का आदेश कोई स्थायी आदेश नहीं था। स्थायी आदेश दिनांक 25.04.2016 को मिला जिसके बाद खातेदारी 03.11.16 को मिली व 17.11.2016 को सनद मिली व दिनांक 20.12.2016 को भूमि बेचान कर दी गई। अप्रार्थी सं. 2 इकबाल सिंह द्वारा मुख्त्यारआम दिनांक 20.09.2012 की पालना में बैयनामे करवाये गये हैं क्योंकि मल्लूराम द्वारा जारी मुख्त्यारआम दिनांक 20.09.2012 से दिनांक 17.11.2016 तक प्रभावी था। दिनांक 20.12.2016 को विधिवत रजिस्ट्री हुई है। सब–रजिस्ट्रार ने पूरी जांच करके बैयनामे को तस्दीक किया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3 ता 5 ने कानूनी नजीर आरबीजे(28) 2021 पृष्ठ संख्या 747–748, आरआरटी 2014–15(Supp) पृष्ठ संख्या 731, आरआरटी 2017(2) पृष्ठ संख्या 878, आरआरटी 2021(2) पृष्ठ संख्या 835, आरआरटी 2009(1) पृष्ठ संख्या 220, आरआरटी 2007(2) पृष्ठ संख्या 1443, आरआरटी 2007(2) पृष्ठ संख्या 1430, आरआरटी 2015(2) पृष्ठ संख्या 1331 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद भूमि क[illegible] जा सकता। अतः अप्रार्थी संख्या 01 को सद्भाविक काश्तकार मानते हुए सन 1970–71 में रोही [illegible] ख.स. 383/4 में आवंटन हुई भूमि पर लगातार मल्लूराम का कब्जा काश्त [illegible] चुका है। आगे बेचान भी हो चुका है। मल्लूराम का उक्त आवंटन [illegible] पुराना है। इत[illegible]राल के बाद उक्त भूमि विभिन्न व्यक्तियों

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.08.04 10:26:30 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

के मालिकाना हक में आ चुकी है। ऐसी स्थिति में महज एक शिकायत प्रार्थना पत्र के आधार पर आवंटन खारिज करना न्यायपूर्ण नहीं होगा। अतः शिकायतकर्ता की शिकायत खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी का प्रथम कथन है कि आवंटन के समय मूल आवंटी मल्लूराम कपडे का व्यवसाय करता था, आवंटी सद्भाविक काश्तकार नहीं है। इस संबंध में मूल आवंटन पत्रावली के अवलोकन से पाया कि पटवारी हल्का ने अपनी विभिन्न रिपोर्ट में मल्लुराम द्वारा काश्त करनी बताई है। पटवारी हल्का ने रिपोर्ट दिनांक 23.06.1970 में आवंटी के लडके द्वारा कपडे की रेडी लगाई जानी तथा आवंटी का काश्कार होना अंकन किया है। प्रार्थी का द्वितीय कथन है कि अप्रार्थी मल्लूराम ने इससे पूर्व रोही सूरतगढ़ के खसरा न. 391 में 25.00 बीघा भूमि बारानी अस्थाई तौर पर आवंटन करवाई जो बाद में बेच दी। इस संबंध में मूल आवंटन पत्रावली के अवलोकन से पाया कि आवंटी द्वारा भू–राजस्व जमा कराने का प्रमाण पत्र पेश नहीं करने पर खसरा न. 391 में 25.00 बीघा का आवंटन खारिज कर दिया गया। जिससे साबित है कि मल्लूराम द्वारा कोई भूमि नहीं बेची गई। प्रार्थी का तृतीय कथन है कि न्यायालय सिविल न्यायाधीश सूरतगढ़ के प्रकरण संख्या 25/2009 अनवान राधेश्याम बनाम मलुराम में दिनांक 28.4.2015 को पारित निर्णय में मलुराम स्वयं ने यह माना है कि वह कभी सूरतगढ़ नही रहा है। इस प्रकार मलुराम ने गलत तथ्य पेश कर आवंटन करवाया है। इस संबंध माननीय सिविल न्यायाधीश सूरतगढ़ के उक्त निर्णय का गहनता से अवलोकन करने से पाया कि माननीय सिविल न्यायाधीश के उक्त प्रकरण के प्रतिवादी मलुराम ने कथन किया है कि "वादी (उक्त प्रकरण के वादी राधेश्याम) व उसका परिवार कभी सूरतगढ़ नहीं रहा है। जिस समय दुकान किराये पर ली गई थी उस समय वादी(राधेश्याम) के पडदादा एवं उनका परिवार पीलीबंगा में निवास करता था तथा वादी व उसका परिवार अब भी पीलीबंगा में निवास करता आ रहा है। "अर्थात मलुराम ने उक्त कथन वादी राधेश्याम के संबंध में कहे है ना कि अपने स्वयं के संदर्भ में। अधीनस्थ न्यायालय की मूल आवंटन पत्रावली में आदेश दिनांक 21.5.1980 में आवंटी का राजस्थानी साबित माना है। प्रार्थी का कथन है कि मूल आवंटी मल्लूराम को जैर प्रार्थना पत्र रकबा सन 1970–71 में आवंटन हुआ। मल्लुराम ने उक्त रकबा दिनांक 20.09.2012 को इकबाल सिंह को 17 लाख में बेचान कर दिया व कब्जा खरीददार इकबाल सिंह को सुपुर्द कर दिया। दिनांक 20.09.2012 को एक मुख्त्यारनामा भी इकबाल सिंह के पक्ष में निष्पादित करवाया गया। दिनांक 20.09.2012 के बाद से जैर प्रकरण रकबा पर मल्लुराम व उसके परिवार के किसी भी सदस्य का कब्जा नहीं है। इस संबंध में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया। प्रथमतः जैर अपील रकबा मल्लूराम को सन 1970–71 में अस्थाई तौर पर आवंटन हुआ। मल्लूराम ने दिनांक 20.09.2012 को अप्रार्थी संख्या 1 इकबाल सिंह के पक्ष में इकरारनामा (बाबत बेचान सौदा भूमि), दस्तावेज मुख्त्यारनामा आम तथा केता इकबाल सिंह के पक्ष में दिनांक 20.09.2012 को कब्जा पत्र निष्पादित कर मल्लुराम द्वारा शपथ पूर्वक बयान करते हुए जैर अपील रकबा का पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर कब्जा इकबाल सिंह को संभलवा दिया है। उक्त मुख्त्यारनामा की हैसियत से इकबाल सिंह ने मल्लूराम के टीसी आवंटित रकबा यथा रोही सूरतगढ़ के खसरा न. 383/4 (वर्तमान में खसरा न. 800/383 में तरमीम) की 12.650 है0 भूमि में से दिनांक 20.12.2016 को जरिये पंजीबद्व विक्रय पत्र द्वारा रवि खुराना को 6.325 है0 रकबा, लीलाधर स्वामी को 4.048 है0 रकबा, हरेन्द्रकुमार को 2.277 है0 रकबा बेचान कर दिया तथा मौके पर कब्जा खरीददार को संभलवा दिया। माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सूरतगढ़ के प्रकरण विविध दीवानी प्रकरण संख्या 48/2019 अनवान मल्लूराम बनाम रवि खुराना व अन्य में कब्जा संबंधी बिन्दु पर दोनो पक्षकार मौन रहे है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के प्रकरण संख्या एसबी सिविल मिस. अपील संख्या 983/2021 अनवान मल्लुराम बनाम रवि खुराना व अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.12.2021 में कथन किया है कि जेर अपील भूमि का कब्जा अभी भी उसके पास है। खातेदारी प्रार्थना पत्र पर जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर द्वारा तहसीलदार सूरतगढ़ से चाही गई रिपोर्ट में तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा रकबा आवंटी के परिवार की देखरेख में कब्जा होना बताया है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट कमांक राजस्व/2022/0429 दिनांक 26.12.2022 में मूल आवंटी की भूमि पर रवि खुराना, लीलाधर, हरेन्द्र का केता खातेदार की हैसियत से कब्जा होना बताया है। कब्जा के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 मल्लुराम द्वारा माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सूरतगढ़ व माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में अलग–अलग कथन किया है। अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 ने न्यायालय सिविल न्यायाधीश तथा इस न्यायालय में भी विरोधाभाषी कथन किये है। प्रार्थी का कथन है कि मल्लुराम ने अपने टीसी आवंटन को ही बेचान कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है। इस संबंध में राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते 1955 में शर्त 4 (एफ) अनुसार– **"Tenant" means any person holding land in a colony and includes his predecessors and successors in- intrest and transferees** अर्थात उक्त नियम में टीनेन्ट को परिभाषित करने से तात्पर्य टीसी धारक से माना जायेगा। इस संबंध में राज्य सरकार ने दिनांक 26.09.2001 को एक परिपत्र जारी किया [illegible] में भी यह उल्लेखित है कि राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते 1955 में शर्त [illegible] (एफ) में काश्तकार (टीनेन्ट) की परिभाषा में उसके उत्तराधिकारियों को भी सम्मिलित किया गया है। [illegible] अन्य प्रावधानों में भी टीनेन्ट शब्द का उपयोग किया है ना कि अस्थाई काश्तकार शब्द का प्रयोग किया है। जैर प्रकरण रकबा मलुराम को सन.

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.08.04 10:26:30 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

1970–71 में अस्थाई काश्त पर आवंटित हुआ था। आरआरटी 2021 (1) मूलचन्द बनाम स्टेट पेज 683 में भी यह उल्लेखित है कि–" राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की अधिसूचना (दिनांक 9.10.2007, राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 18.10.2007) कमांक एफ. 6(513) राज/बी/55 दिनांक 10.5.56, एफ.6(513) राज/बी/55 दिनांक 13.9.57, एफ. 16(129) राज/ई/58 दिनांक 21.1.1959 से विवादित भूमि को उपनिवेशन क्षैत्र से बाहर कर डी कॉलोनी क्षैत्र घोषित कर दिया, इससे स्पष्ट है कि राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 18.10.2007 के बाद विवादित भूमि पर राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के प्रावधान लागू होते है और भू–राजस्व अधिनियम के तहत खातेदार व गैर–खातेदार श्रेणी के ही काश्तकार होते है, अपीलाण्ट जो उपनिवेशन क्षैत्र में टी0सी0 आवंटी थे, वह अब भू–राजस्व अधिनियम के तहत गैर–खातेदार श्रेणी के कृषक हो गये है और नियम 18 के तहत खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं।" राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 18.10.2007 से विवादित भूमि को उपनिवेशन क्षैत्र से बाहर करने के पश्चात् राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या.एफ.9 (77) रेवे–6/2008/15 दिनांक 31.05.2008 अनुसार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 18 में यह परन्तुक जोड दिया गया है कि "व्यक्ति, जिसको भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में अस्थायी खेती पट्टा धारक या स्थायी आवंटिती के रूप में आवंटित की गयी थी और ऐसा क्षैत्र बाद में उपनिवेशन क्षैत्र से अपवर्जित कर दिया गया था का 1–1–2001 से पूर्व उक्त भूमि पर निरन्तर कब्जा है, तो ऐसा व्यक्ति राजस्थान कृषि धृति पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अधीन लागू अधिकतम सीमा तक इन नियमों के अधीन खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने का हकदार होगा।" मल्लुराम को उक्त रकबा सन. 1970–71 में अस्थाई काश्त पर आवंटन हुआ था। राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 18(1) के तहत आवंटन के उपरान्त तहसीलदार को तीन वर्ष की अवधि में स्वप्रेरणा से खातेदारी अधिकार प्रदान करना आज्ञापक है। प्रकरण में जिला कलक्टर महोदय द्वारा वर्ष 2016 में खातेदारी भी दी जा चुकी है। राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14 (4) अनुसार–

" उपखण्ड अधिकारी या (तहसीलदार) द्वारा नियम 21 द्वारा निरसित नियमों के अधीन तहसीलदार द्वारा किए गए, किसी भी आवंटन को या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पर निरस्त करने की कलेक्टर को शक्ति होगी, यदि आवंटन कपट या दुर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया गया हो, या नियमों के विरूद्ध किया हो अथवा यदि आवंटिती ने आवंटन की शर्तो में से किसी शर्त को भंग किया हो।" हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा आवंटन कपट या दुर्व्यपदेशन द्वारा करवाया जाना साबित नहीं होता है। अप्रार्थी संख्या 01 मलुराम का आवंटन 53 वर्ष पुराना है, जिसकी अब खातेदारी भी जारी हो चुकी है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। निर्णय की एक प्रति उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग हनुमानगढ वृत को भेजकर स्टाम्प डयूटी वसूली संबंधी कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली बाद तकमील तरतीब नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.08.04 10:26:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner